

#2021/191

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बयाना, भरतपुर (राज.)

मुकदमा ओमप्रकाश बनाम राजाराम बगौराह

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए एक्ट

नं. 86 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
-------------	----------------------------------	--

23.06.2021 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थीओमप्रकाशमय वकील श्री वेदप्रकाश शर्मा एडवोकेट द्वारा उपस्थित होकर पेश किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया, जिसपर मनन किया गया। जिससे प्रथम दृष्ट्या केस सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति प्रार्थी के हक में कायस हो रही है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण (उभयपक्ष) को अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.08.2021 तक प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नं. 2569,2570,2573,2574,2575,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2608वाके ग्राम शाहपुर तहसील बयाना पर स्थित है, पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण (उभयपक्ष) मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। यदि उक्त स्थगन आदेश बावत् कोई आपति या उज्र हो तो नियत तारीख पेशी पर न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06.08.2021 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 बयाना (भरतपुर)

18/06/21 पीठासीन अधिकारी
 पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/11/21 को पेश हो




उपखण्ड अधिकारी बयाना

14/10/21

प्रकरण भाषा स्वयं प्राप्ति के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तारीख पेशी से उक्त नोटिस द्वारा वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करें

प्रकाश


 उपखण्ड अधिकारी बयाना

अपना नाम रखा जा सकता है। इस
 है। इस रखा जा सके पर प्रथम
 धारा 212 के अंतर्गत का कोई अर्थ
 नहीं रहता है। प्रार्थना ने एक
 पेश का निर्देश दिया है कि अब
 पदाधार के अर्थ आपस में शर्तनामा
 में युक्त है। प्रथम पत्र इसी स्तर पर
 रखा करने का निर्देश दिया है। प्रार्थना
 की पहचान न्यू-वेद प्रकाश शर्मा 2020 ने की है।
 अतः प्रथम पत्र प्रार्थना, प्रार्थना हर
 प्रथम प्रथम पत्र के आधार पर इसी
 स्तर पर रखा जा सकता है। पत्रावली - अंतर्गत
 (सुमार) वेब नम्बर से कर रहे। वाद - लक्ष्मी
 दारिद्र्य दस्त है।


 A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Hindi, including 'प्रमुख' (Chief) and 'दफ्तर' (Office).